अति—आवश्यक

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक—4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर—302015, राजस्थान
वेब साईटः— http:/hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
ई.मेलः— hrd.cce/gmail.com **फोन न॰ 0141—2706736**(O)

क्रमांकःएफ1 (02)विद्या सम्बल/आकाशि/गे.फै./दिशा निर्देश/21—00638/ दिनांकः—

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
(नियमित/राजसेस/विधि/कृषि)
राजस्थान

विषयः— विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत आमंत्रित गेस्ट फैकल्टी के संबंध में।
संदर्भः— विभाग का समसंख्यक राजकाज रेफरेंस नम्बर 8029676 दिनांक 21.06.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि महाविद्यालय में सेमेस्टर प्रणाली के अध्यापन हेतु विद्या संबल योजना अन्तर्गत आमंत्रित गेस्ट फैकल्टी से पूर्व में जारी शपथ पत्र के स्थान पर पत्र के साथ संलग्न शपथ—पत्र लिया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

संयुक्त निदेशक (HRD)
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

01. वेब साईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
02. नोडल महाविद्यालयों को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीन राजसेस महाविद्यालयों से उक्त निर्देशों की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करें।
03. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (HRD)
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

RajKaj Ref
8630580

Signature valid

Digitally signed by Keshav Sharma
Designation : Joint Director
Date: 2024.07.08 18:50:40 IST
Reason: Approved

शपथ– पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी......................पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... (संस्थान का नाम)........... में दिनांक................ को प्रति कालांश के आधार पर अधिकतम 24 सप्ताह अथवा 28 फरवरी, 2025 जो भी पहले हो तक के लिए (अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे के अनुसार) गैस्ट फैकल्टी के रूप में अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किया गया हूं।

1. यह है कि मैंने................................संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक....................के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूं।
2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 6(2)वित्त/सा वि ले नि/2021 दिनांक 30.03.2021 एवं दिनांक 07.08.2023 को अच्छे से पढ़/समझ लिया है।
3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो संस्थान द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भू.पू. सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरचित/फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गैस्ट फैकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा/करूंगी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा/करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूं, करती हूं तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।
7. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा अधिकतम 24 सप्ताह अथवा दिनांक 28.02.2025 जो भी पहले हो (सत्र प्रणाली के अन्तर्गत) सेमेस्टर की परीक्षा प्रारम्भ होने अथवा पाठयक्रम पूर्ण होने तक (सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत) के लिए है। मैं नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।
8. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति/कार्यव्यवस्थार्थ या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है अथवा हटाया जाता है, तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
9. मैं संस्थान द्वारा समय–समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।
10. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है ।
11. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।
12. यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरान्त स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा/करूंगी।
13. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हू कि जिस रिक्त पद के विरूद्ध शपथग्रहिता को गेस्ट फैकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।
14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होउंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं/करती हूं कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहित

RajKaj Ref
8630580

Signature valid

Digitally signed by Keshav Sharma
Designation : Joint Director
Date: 2024.07.08 18:50:40 IST
Reason: Approved